भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3855
दिनांक 12 अगस्त, 2025 /21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मेफेड्रोन का अवैध उत्पादन

†3855. श्री राहुल कस्वां:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राजस्थान में, विशेषकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जयपुर जैसे जिलों में युवाओं के बीच मेफेड्रोन (एमडी) दवाओं के बढ़ते उपयोग और उनका अवैध रूप से उत्पादन किए जाने से अवगत है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में घर पर एमडी दवाओं के उत्पादन में संलिप्त व्यक्तियों की हाल ही में कोई गिरफ्तारी हुई है;

(ग) सरकार द्वारा अवैध एमडी दवा आपूर्ति श्रृंखला को समाप्त करने और इसके उत्पादन और वितरण नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का राजस्थान के नशीली दवाओं से ग्रस्त जिलों में एक समर्पित नारकोटिक्स कार्यबल गठित करने और युवा जागरूकता एवं पुनर्वास अभियान शुरू करने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने राजस्थान के सिरोही और बाड़मेर जिलों में मेफेड्रोन के उत्पादन में शामिल 02 गुप्त प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया है तथा कुल 74.08 किलोग्राम दवा जब्त की है और इन जब्तियों के संबंध में 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़ एनसीबी और बाड़मेर पुलिस के संयुक्त अभियान द्वारा किया गया। इसके अलावा, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा सितंबर, 2024 में राजस्थान के बाड़मेर जिले में मेफेड्रोन के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जा रही एक दवा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया गया और 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 3855, दिनांक 12.08.2025

(ग): अवैध मेफेड्रोन (एमडी) दवा आपूर्ति श्रृंखला को नष्ट करने और इसके उत्पादन तथा वितरण नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्ननुसार हैं:

(i) मेफेड्रोन जैसी सिंथेटिक दवाओं के अवैध उत्पादन, तस्करी तथा वितरण में शामिल नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें लक्षित करने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने तथा साझा करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

(ii) मेफेड्रोन के उत्पादन में लगी गुप्त प्रयोगशालाओं की समन्वित अभियानों के माध्यम से सक्रिय रूप से पहचान की जा रही है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है।

(iii) स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अध्याय V-क के अंतर्गत मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध वित्तीय जाँच की जा रही है।

(iv) मेफेड्रोन सहित सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन में शामिल गुप्त प्रयोगशालाओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को जागरूक करने के लिए एनसीबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ रेड फ्लैग इंडिकेटर (आरएफआई) साझा किए गए।

(v) गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) साझा की गई है ताकि रेड फ्लैग इंडिकेटरों, गुप्त प्रयोगशालाओं और नियंत्रित पदार्थों व प्रीकर्सर के डायवर्जन सहित प्रीकर्सर रसायनों की तस्करी से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके।

(घ): राजस्थान सरकार ने दिनांक 08.10.2024 के अपने आदेश के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को कार्यात्मक बनाया है।

*****